

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1 (4) वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 25.8.2010
परिपत्र संख्या : 22/2010


आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-I में संशोधन बाबत।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-I में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं :-


After the existing entry No. 34 of Annexure-A of rule 219 (1)(ii)(a) of Part-I of GF&AR, a new entry No. 34A shall be added as under:-

S. No.	Name of Department/ Authority	Purpose	Amount
34A.	Director, Revenue Research and Training Institute, Ajmer	Payment of Lecture fees to the Lecturers	Upto actual amount on rates prescribed by the Government.

आज्ञा से,

(जी.डी.म्यास)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. समस्त कोषाधिकारी
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
12. निदेशक, कर्षण एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
16. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त(समन्वय)विभाग के आदेश संख्या प.17(1)वित्त(समन्वय) / 04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।


वरिष्ठ लेखाधिकारी